मनोज कुमार, बि०प्र०से०
उप विकास आयुक्त,
पूर्णिया।

Manoj Kumar, B.A.S.
Deputy Development Commissioner
Purnea.

मोबाईल–9431818379 दूरभाष– 06454–242229, E-mail ID-ddc-purnea-bih@nic.in

–: अल्पकालीनः–

–: बन्दोबस्ती सूचना :–

सर्व साधारण को सुचित किया जाता कि पूर्णिया जिला में के० नगर अंचल अंतर्गत काझा कोठी जलकर की वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2023–24 के लिए अस्थायी बन्दोबस्ती आम डाक के द्वारा उप विकास आयुक्त, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पूर्णियाँ के सभा कक्ष में दिनांक–14/9/2021 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में की जायेगी। काझा कोठी पोखर की बन्दोबस्ती हेतु वर्ष 2021–22 से 2023–24 के लिए सुरक्षित जमा राशि मो0–10,08,100/–(दस लाख आठ हजार एक सौ) रूपये मात्र निर्धारित किया गया है। इच्छुक वयक्ति उप विकास आयुक्त के पदनाम से सुरक्षित जमा राशि का 10% यानी मो0–10,08,10/–(दस हजार आठ सौ दस) रूपये मात्र का बैक ड्राफ्ट जमा कर निर्धारित तिथि, स्थान एवं समय पर उपस्थित होकर आम डाक में भाग ले सकते हैं। डाक समाप्ति के पश्चात् उच्चतम डाक की पूरी राशि जमा कर नाजिर से रसीद प्राप्त कर लेना होगा।

सरकारी प्रावधान के अनुसार उच्चतम डाक की बन्दोबस्त राशि पर 6% की राशि का मुद्रांक पेंपर एवं 2% निबंधन शुल्क देय होगा। मुद्रांक पेपर तुरंत जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पूर्णियाँ में जमा करना अनिवार्य होगा। काझा कोठी पोखर विद्युत विपत्र का भुगतान भी बन्दोबस्तधारी को वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्राप्त बिजली विपत्र के आलोक में राशि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पूर्णियाँ में जमा कर नाजिर से रसीद प्राप्त करना अनिवार्य है।

उच्चतम डाक वक्ता को सम्पुर्ण राशि, डाक समाप्ति उपरान्त तुरंत देय होगा। डाक की पूरी राशि जमा नहीं करने पर प्रतिभुति की राशि जब्त कर पुनः डाक किया जाएगा। किसी भी डाक की बिना कारण बताये स्वीकृत करने अथवा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा। उक्त निर्धारित तिथि को किसी कारणवश डाक के द्वारा बन्दोबस्ती नहीं होने के कारण पुनः दिनांक–15/9/2021 एवं 17/9/2021 को इसके बाद प्रत्येक कार्यालय कार्यदिवस को पूर्व निर्धारित स्थान एवं समय पर आम डाक के द्वारा काझा कोठी पोखर की बन्दोबस्ती वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2023–24 के लिए किया जायेगा।

बन्दोबस्ती हेतु आवश्यक शर्तें :–

1. प्रत्येक डाक वक्ता को डाक के नाम लेने के पूर्व अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र समर्पित करना होगा।
2. जिस डाक वक्ता के पास पूर्व का बकाया होगा, उन्हें डाक में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।
3. किसी भी कारणवश डाक वक्ता को हुए घाटे के लिए कोई छुट नहीं दी जायेगी।
4. काझा कोठी पोखर की नियमित सफाई/पेयजल एवं रोशनी की व्ययस्था बन्दोबस्तधारी को करनी होगी।
5. काझा कोठी के अन्दर किसी प्रकार का अवैध कार्य निषेध होगा एवं इसके लिए बन्दोबस्तधारी जिम्मेवार होंगे।
6. काझा कोठी में किसी प्रकार का निर्माण/विकास कार्य अधोहस्ताक्षरी की अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा।
7. उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन नहीं करने पर बन्दोबस्ती को रद्द कर पुनः आम डाक द्वारा बन्दोबस्ती करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
8. बन्दोबस्ती से संबंधित अन्य किसी प्रकार की जानकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पूर्णियाँ कार्यालय से कार्यावधि में प्राप्त किया जा सकता है।

26/8/2021
निदेशक, लेखा,
डी0आर0डी0ए0, पूर्णियाँ।

26/8/2021
उप विकास आयुक्त,
पूर्णियाँ।